न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी प्रकाश चन्द्र रेगर आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2025 – अपील

1. रामेश्वर पिता गोकल माली नि. फूलिया कंला तहसील फूलिया कंला जिला भीलवाड़ा
2. महावीर पिता रामलाल माली नि. फूलिया कंला तहसील फूलिया कंला जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. भागचंद्र पिता रामकरण माली निवासी फुलिया कंला तहसील फूलिया कंला जिला भीलवाड़ा
2. गोपाल पिता रामकरण माली, निवासी फुलिया कंला तहसील फूलिया कंला जिला भीलवाड़ा
3. रूकमा बेवा रामकरण माली, निवासी फुलिया कंला तहसील फूलिया कला जिला भीलवाड़ा
4. गलकु पुत्री रामकरण माली, पत्नि राधाकृष्ण माली, निवासी नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. नौरती पुत्री रामकरण माली, पत्नि शौभगमल जी माली, निवासी कलिजरी गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फूलिया कंला जिला भीलवाडा

–अपीलान्ट/अप्रार्थीगण

– रेस्पोडेन्टगण/प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा. दी.

उपस्थित –

1. श्री नमन ओझा अधिवक्ता – अपीलान्ट/अप्रार्थीगण की ओर से
2. श्री राजेश वर्मा अधिवक्ता – रेस्पोडेन्टगण/प्रार्थीगण की ओर से

:: आदेश ::

दिनांक 10.02.2026

रेस्पोडेन्टगण/प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा. दी. विरूद्व अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हस्तगत अपील नामान्तकरण सं. 3310 दिनांकित 04.01.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां के आदेशित की पालना में भरा गया। उक्त नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पूर्ण

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

पालना के क्रम में निर्णित किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पालना में निर्णित नामान्तकरण के विरूद्ध उक्त अपील कार्यवाही न्यायालय श्रीमान् के श्रवण योग्य नहीं होने से अपील विधिक रूप से पोषणीय नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नामान्तकण सं. 3310 के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्टगण/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट/अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील में प्रस्तुत किया गया है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के अनुसार आदेश 07 नियम 11 केवल वाद पत्रों पर लागू होता है। इसलिये रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर बिना एडमिशन के खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 02 में वर्णित तथ्य असत्य होकर अस्वीकार है। उक्त नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां के आदेश की अनुपालना में नहीं भरा गया था क्योकि उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां के द्वारा नामान्तकरण सं. 2164 दिनांक 21.12.2015 से भरकर प्रस्तुत कराये गये इन्तकाल का यथावत रखने का निर्णय दिया गया। नामान्तकरण सं. 3310 माननीय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पूर्ण पालना में नहीं किया गया बल्कि उक्त निर्णय की आंशिक पालना केवल रामकरण के विधिक वारिसान् के पक्ष में नामान्तकरण फैसल कर की गई है। श्रीकिशन व गोकल के वारिसान् के पक्ष में नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां के निर्णय के बावजूद नहीं खोला गया इसलिये उक्त अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है। दिनांक 01.05.2024 को अप्रार्थी सं. 01 लगायत 05 बावजूद तामिल न्यायालय में अनुपस्थित रहे जिन्हें उपस्थित रहने हेतु अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 06.06.20204 को वकालत नामा एवं जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिये अधिवक्ता अप्रार्थी को अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 19.06.2024 को पुनः गैर अपीलार्थी ने अधिकार पत्र पेश कर जवाब हेतु अवसर लिया। दिनांक 03.07.2024 को पुनः अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश करने हेतु अंतिम अवसर लिया गया। दिनांक 10.07.2024 को अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 18.07.2024 को

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस हेतु अवसर लिया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण पत्रावली की आदेशिका से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण नं. 01 लगायत 05 जानबूझ कर प्रकरण में देरी करना चाहते है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 लगायत 05 द्वारा यह जानते हुए कि आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र अपील में लागू नहीं होता है, देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्ट ग्राम फूलियाकलां के निवासी है जो लगातार पेशी पर अधिवक्ता के साथ उपस्थित हो रहा है जिनके आने जाने का अनावश्यक खर्चा रेस्पोडेन्ट सं. 01 लगायत 05 के जानबूझ कर विलम्ब कारित करने के कारण हो रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 लगायत 05 द्वारा उक्त प्रकरण में विलम्ब कारित करने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 35 ख के प्रावधानों के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 01 लगायत 05 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मय विशेष हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय विशेष हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

वकूलाय फरिकेन की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी. पी. सी. एवं धारा 151 जा. दी. पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र/जवाब के तथ्यों को दोहराया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बताया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पालना में निर्णित नामान्तकरण के विरूद्ध उक्त अपील कार्यवाही न्यायालय श्रीमान् के श्रवण योग्य नहीं होने से अपील विधिक रूप से पोषणीय नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नामान्तकण सं. 3310 के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बताया कि नामान्तकरण सं. 3310 माननीय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पूर्ण पालना में नहीं किया गया बल्कि उक्त निर्णय की आंशिक पालना केवल रामकरण के विधिक वारिसान् के पक्ष में नामान्तकरण फैसल कर की गई है। श्रीकिशन व गोकल के वारिसान् के पक्ष में नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां के निर्णय के बावजूद नहीं खोला गया इसलिये उक्त अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया

अति. जिला कलेक्टर
शाहपुरा

हमने वकूलाय फरिकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है की अपील मीमो के प्रथम पृष्ठ पर अंकन है कि विवादित नामान्तरकरण 3310 दिनांक 04.01.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फुलियाकला के प्रकरण सं. 06/2019 की पालना में खोला गया। जो कि तहसीलदार का स्वतंत्र निर्णय नहीं है। अतः न्यायालय हाजा में अपील योग्य नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 जा. दी. (विधि द्वारा बाधित होने से) स्वीकार योग्य हैं।–

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 धारा 151 जा. दी. के तहत (विधि द्वारा बाधित होने से) प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/2/26

(प्रकाश चन्द्र रेगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
शाहपुरा

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा